अति आवश्यक
आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकःप.3(1)शिक्षा/ग्रुप–3/2013 जयपुर, दिनांकः 19 जुलाई, 2013

निदेशक,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–संमसख्यक आदेश दिनांक 17.07.2013 का कियान्वयन निरस्त करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख कि इस विभाग के संमसख्यक आदेश दिनांक 17.07.2013 द्वारा (पृथक–पृथक स्थानान्तरण आदेश 60 व 3 व्याख्यातागण) प्रचलित व्याख्याताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश के कियान्वयन पर एतद्द्वारा रोक लगाई जाती है।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना में किसी भी व्याख्याता को कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही नहीं की जावें। यदि कोई व्याख्याता नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त हो गया हो अथवा कार्यमुक्त होकर नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण भी कर लिया हो तो उसे पुनः अपने पूर्व पद पर ही कार्यभार ग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(भंवर लाल कन्दोई)
संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा

D:\Soni Ji\Letters 2012.doc/1/18/2005 6:25:07 AM